न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
450/2012 (RCMS 2012/00820)	26.12.2012	24.09.2019

अनवान

रमताराम रामस्नेही गुरू भगतराम जी रामस्नेही आयु 50 वर्ष निवासी रामद्वारा बून्दी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रार्थी

बनाम

रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जाति ईनाणी महाजन निवासी बडीगुवाडी चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री छोगालाल डाड प्रार्थी
अधिवक्ता श्री विजय जैन अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राज0काश्त0अधिनियम, 1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादी ने एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधिनियम के तहत बंटवारा आराजीयात का न्यायालय आप में प्रस्तुत कर रखा है जो वाद संख्या 339/12 है जिसमें आज पेशी नियत है। वादी/प्रार्थी का वाद पत्र सुदृढ आधारों पर है और वाद वादी अवश्य ही स्वीकार होगा किन्तु वाद के अंतिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी संख्या 1280 रकबा 0.70 हैक्टर आराजी संख्या 1281 रकबा 0.20 हैक्टर आराजी संख्या 1286 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी संख्या 1287 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी संख्या 1288 रकबा 0.18 हैक्टर आराजी संख्या 1289 रकबा 0.23 हैक्टर आराजी संख्या 1290 रकबा 0.23 हैक्टर आराजी संख्या 1291 रकबा 0.36 हैक्टर आराजी संख्या 1292 रकबा 0.40 हैक्टर आराजी संख्या 1294 रकबा 0.18 हैक्टर आराजी संख्या 1295 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.02 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 2.64 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1257 रकबा 0.09 हैक्टर आराजी संख्या 1284 रकबा 0.08 हैक्टर आराजी संख्या 1285 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी संख्या 1293 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.48 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात में वादी/प्रार्थी का 2/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा खातेदारी में अंकित है। वादी ने उक्त वर्णित आराजीयात खातेदार ब्रदीलाल पिता बंशीलाल एवं मृतक शिवनारायण के वारीसान खातेदार प्रहलादराम चन्द्रप्रकाश मुकेश उर्मिला पुत्री शिवनारायण बसंता देवी पत्नि शिवनारायण ईनाणी में पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया खातेदारान का मौके पर अपना अपना कब्जा काश्त रहा उसी अनुसार मौके पर प्रार्थी को भूमि के खातेदारों ने कब्जा सिपुर्द किया जिस पर प्रार्थी मौके पर काबिज चला आ रहा है वादी प्रार्थी का 2/3 हक व हिस्सा खाते में अंकित होकर मौके पर काबिज हो काश्त कर रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 16.12.2012 को अप्रार्थी रमेशचन्द्र ने प्रार्थी को हक व हिस्से की 2/3 भूमि पर भी कब्जा करने की दुर्भावाना में सम्पूर्ण आराजीयात को हांक डाली मौके पर मुझ प्रार्थी ने अप्रार्थी को रोका तो अप्रार्थी झगडे पर उतारू हो गया और प्रार्थी के साथ मारपीठ करना प्रारम्भ कर दिया और कहा की पूरी जमीन उसके पिता जी को वसीयत है जिससे वह वादी/प्रार्थी को मौके पर काबिज नहीं रहने देगा। अप्रार्थी ने वादी बनकर वादपत्र अलग से खातेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें उसका 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विरूद्ध खातेदारान बद्रीलाल व शिवनारायण निरस्त हो गया मौके पर शिवनारायण निरस्त हो गया मौके पर शिवनारायण व बद्रीलाल का उनके हिस्से अनुसार 1/3 1/3 हिस्से पर कब्जा रहा जो हक व हिस्सा प्रार्थी ने काफी बडी राशि खातेदारों को अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। और अप्रार्थी अब बिना किसी अधिकार के पूरी आराजीयात के रकबे पर कब्जा करना चाहता है इस हेतु मौके पर लडाई झगडा कर मरने मारने पर उतारू है मौके पर पक्षकारों के मध्य कब्जे का लेकर लड़ाई झगडा हो एवं शांति भंग होने का पूरा–पूरा अंदेशा है जिस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर रिसीवर कायम करवाना चाहता है ताकी ताफैसला वाद विभाजन तक पक्षकारान प्रकरण को उनके हक व हिस्से अनुसार फसल का पैसा प्राप्त हो सकें। इस भांति सुविधा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संतुलन व क्षतिपूर्ति प्रार्थी के पक्ष में होने से मौके पर रिसीवरी कायम किया जाना न्यायासंगत है जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है की प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात पर रिसीवरी कायम कि जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से अनुसार फसल की कीमत की अदायगी कि जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 07.01.2013 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 27.05.2013 को अप्रार्थी की और से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। अप्रार्थी अपने जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया एवं बताया कि प्रार्थी/वादी द्वारा एक वाद संख्या 339/2012 वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधिनियम न्यायालय आप में प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है किन्तु उक्त वाद के सभी पक्षकारान को इस प्रार्थना पत्र में विधि अनुसार पक्षकार नहीं बनाया गया है। विपक्षी के पिता रामचन्द्र जी ईनाणी ने बद्रीलाल शिवनारायण ईनाणी के विरूद्ध न्यायालय हाजा के यहॉ विवादित आराजीयात अपने नन्हॉ खातेदारी की घोषित कराने एवं बद्रीलाल शिवनारायण जी द्वारा विवादित कृषि भूमि किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण एवं अंतरण नहीं किये जाने हेतु धारा 88, 188 राज0टिनेंसी एक्ट के अंतर्गत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र दिनांक 17.09.2004 को प्रस्तुत किया जो मुकदमा नंबर 025/2004 रे0वाद जैर पेण्डिंग है तो सेम पक्षकार सेम आराजी का काननून दूसरा वाद नहीं लया जा सकता है इसलिए प्रार्थी द्वारा विभाजन का वाद पेश किया जो मुकदमा नंबर 339/2012 रे0वाद पर दर्ज हुआ जो बाद का वाद है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थी/वादी का वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है एवं वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद क्रय किया है इस प्रकार सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद वादी द्वारा क्रय की गई संपत्ति भूमि का विक्रय पत्र शून्य होने से वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से एवं वादी का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से कोई भौतिक कब्जा नहीं होने के आधार पर वादी का वाद अवश्य ही निरस्त होगा एवं वाद निरस्ती में समय लगने की भी कोई संभावना नहीं है। विपक्षी के पिता रामचन्द्र द्वारा जो वाद पेश किया गया उसमें व प्रार्थी रमताराम द्वारा पेश किया गया वाद में कृषि भूमि एक ही है इसलिए काननून सेम आराजी के लिये नया वाद नहीं लाया जा सकता है। प्रार्थी रमताराम ने पूर्व के वाद के तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर न्याय के विरूद्ध दोबारा वाद पेश कर दिया जबकि पूर्व के वाद संख्या 025/2004 मूल वाद से रमताराम दास ने अपना काउन्टर क्लेम विभाजन बाबत् पेश कर रखा है जो जैर पेण्डिंग है इसलिए काननून भी पूर्व के वाद में ही तय होगा कि क्या विपक्षी के पिता रामचन्द्र ईनाणी वादग्रस्त आराजीयात के वसीयत अनुसार तन्हॉ अकेले मालिक एवं काबिज है जो साक्ष्य का बिन्दु होने से साक्ष्य द्वारा तय होकर निर्णय होगा इसलिए वादग्रस्त आराजीयात का विपक्षी रमेशचन्द्र अकेला मालिक एवं काबिज होने से प्रार्थी रमताराम दास का वादग्रस्त आराजीयात में जब कोई हक व हिस्सा नहीं है तो इस वाद का कोई औचित्य ही नहीं होने से आदेश 07 नियम 11 जा0दी के तहत चलने योग्य ही नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार है लेकिन उक्त कृषि आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की होना अस्वीकार है अपितृ उक्त वर्णित कृषि आराजीयात रमेशचन्द्र के अकेले के खातेदारी की होकर विपक्षी रमेशचन्द्र अकेले का संपूर्ण कृषि भूमि पर शांति पूर्ण निरन्तर तन्हॉ कब्जा होकर विपक्षी के कब्जे उपयोग उपभोग में है जिसमें प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार हक कब्जा नहीं है प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में से यदि कोई भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी भी है तो सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा इसी कृषि भूमि के संदर्भ में प्रकरण संख्या 025/2004 में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी किया हैं जिसके विरूद्ध प्रार्थी रमताराम द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 27.08.2012 को अग्रिम कार्यवाही तक स्थगन का आदेश पारित किया इस दरमियान स्थगन आदेश के प्रभावी होतु हुए भी प्रार्थी ने वादग्रस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि में से यदि कुछ भाग जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया हो तो ऐसा पंजीकृत विक्रय पत्र विधि अनुसार शून्य है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सक्षम न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद या प्रकरण में स्थगन आदेश प्रदान किया हो एवं इसकी जानकारी संबंधित पक्षकार को हो तो ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश के प्रभावी होने पर किसी भी पक्षकार द्वारा किया गया संपत्ति संबंधी अंतरण विधि अनुसार शून्य होता है इस आधार पर प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है न ही उसका भौतिक कब्जा है। वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि विपक्षी रमेशचन्द्र अकेले के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी/वादी का खातेदारी अधिकार व कब्जा नहीं है। इस समय भी विपक्षी ने उक्त भूमि को हांककर फसल बो रखी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में बंशीलाल ईनाणी एवं मृतक शिवनारायण एवं उनके उत्तराधिकारी प्रहलाद राय एवं अन्य को कोई हक एवं हिस्सा निहित नहीं हैं। बंशीलाल एवं मृतक शिवनारायण ईनाणी के उत्तराधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप से बगैर किसी हक एवं अधिकार एवं बगैर कब्जे के नुमाईशी तौर पर वादी ने अपने हक में विधि विपरित रूप से कोई विक्रय पत्र निष्पादित करा कर अवैधानिक रूप से नामान्तरकरण करवा लिया तो ऐसा नामान्तरकरण काननून शून्य है। विधि विरूद्ध शून्य विक्रय विलेख से विवादित आराजीयात में कोई हक स्वतंत्र एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादी का विवादित आराजीयात में 2/3 हक व हिस्सा निहित नहीं है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के तन्हॉ खातेदारी एवं कब्जेयाबी की आराजीयात हैं वादी ने वास्तविक एवं सही तथ्यों को छिपाकार यह आधारहीन रिसीवर का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। वास्तविकता यह है कि कृषि भूमि तन्हॉ रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पितामह नाथूलाल ईनाणी के खातेदारी एवं कब्जेधारी की कृषि भूमि थी नाथूलाल जी ईनाणी के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचंद्र जी बंशीलाल जी एवं शिवनारायण जी ईनाणी थे। प्रतिवादी संख्या 1 के पितामह नाथूलाल जी ईनाणी ने कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के पिता रामचन्द्र जी ईनाणी को वसीयत नामा दिनांक 14.12.1972 के माध्यम से वसीयत की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र जी अपने पिता नाथूलाल जी ईनाणी के साथ निवास कर उनके जीते जी उक्त विवादित कृषि भूमि पर काबिज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर काश्त करते चले आ रहे थें नाथूलाल जी ईनाणी का निधन हो जाने के उपरांत उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण विरासत से नाथूलाल जी ईनाणी के उक्त तीनों पुत्र रामचन्द्र बंशीलाल शिवनारायण के नाम पर खोला। बदीलाल एवं शिवनारायण द्वारा विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र जी ईनाणी के स्वामित्व एवं तन्हॉ खातेदारी कब्जेयाबी की मानने से इंकारी कर देने पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र जी ईनाणी ने बद्रीलाल एवं शिवनारायण के विरूद्ध न्यायालय आप के यहॉ विवादित आराजीयात अपने तन्हॉ खातेदारी की घोषित कराने एवं बद्रीलाल शिवनारायण जी द्वारा कृषि भूमि किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण एवं अंतरण नहीं किये जाने हेतु धारा 88, 188 राज0टिनेंसी एक्ट के अंतर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 17.09.2004 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्रजी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय आप में प्रकरण संख्या 025/2004 रे0वाद विचाराधीन है। इस वाद में बदीलाल शिवनारायण जी एवं उवादी रमताराम प्रतिवादीगण है। प्रकरण संख्या 025/2004 रे0वाद आज दिन तक न्यायालय आप में विचाराधीन है। प्रतिवादी के पिता रामचन्द्र ईनाणी ने वादी रमताराम के विरूद्ध इस वाद में धारा 212 राज0टिनेंसी एक्ट के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया जो आवेदन प्रकरण संख्या 113/2005 दर्ज रजिस्टर हुआ। माननीय आप में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 113/2005 में दिनांक 24.12.2007 को वादी रमताराम को अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद संख्या 025/2004 के अंतिम निस्तारण तक विवादित आराजीयात में किसी भी किस्म की दखलंदाजी न करे एवं नह ही किसी अन्य से करावें। न ही उक्त आराजीयात का किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें तथा प्रार्थी रामचन्द्र जी ईनाणी के पूर्ववत शांति पूर्व उपयोग से किसी प्रकार की बाधा स्वयं उत्पन्न न करें न ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावें। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 113/2005 में दिनांक 29.12.2007 को पारित उक्त आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील संख्या 031/2008 टी.ए. आदेश दिनांक 11.03.2010 द्वारा यथावत रखा जाकर वादी रमताराम की अपील खारीज की गई। इस वाद में वादी रमताराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

113/2005 में दिनांक 24.12.2007 को पारित स्थगन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त तथ्यों से सुस्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के हक स्वत्व को लेकर रामचन्द्र एवं ब्रदीलाल शिवनारायण के विवाविद आराजीयात के खातेदारी की धोषणा का विवाद माननीय न्यायालय में वर्ष 2004 से विचाराधीन है। विवादित आराजीयात को वाद के विचारण के दौरान वादी रमताराम को बद्रीलाल एवं शिवनारायण के वारिसानों द्वारा वाद के विचारण के दौरान किया गया विक्रय धारा 52 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार काननून शून्य है। ब्रदीलाल ईनाणी द्वारा प्रकरण संख्या 025/2004 में प्रस्तुत जवाबदावा में रमताराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को प्रतिफल हित एवं अपने हक एवं हिस्से के अधिक कृषि भूमि को विक्रय विलेख होने का उल्लेख कर कृषि भूमि पर कब्जा सिपुर्द नहीं किये जाने के अभिवचन किये। बद्रीलाल जी ने वादी रमताराम के धारा 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के अंतर्गत विवावित आराजीयात के संबंध में दिये गये चैके को लेकर प्रकरण दर्ज किया। विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। बद्रीलाल एवं शिवनारायण द्वारा पैतृक कृषि भूमि को अपने हक व हिस्से के विपरित अवैधानिक रूप से कृषि भूमि का अवैधानिक रूप से रेवेन्यू रिकार्ड में गलत इन्द्राज का लाभ उठाकार बगैर कब्जे हस्तांतरण दिखावटी शून्य विक्रय विलेख से वादी रमताराम को विवादित आराजीयात में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.12.2007 को रामचन्द्रजी ईनाणी एवं वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 शांतीपूर्वक पूर्ववत कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी व दस्तन्दाजी नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के स्थगन से पाबंद किया। वादी का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। यानि वादी विवादित आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं होने से वादी का वाद निरस्तनीय है। वादग्रस्त संपूर्ण कृषि भूमि पर विपक्षी रमेशचन्द्र का ही खातेदारी अधिकार होकर शांति पूर्ण तन्हॉ कब्जा है और संपूर्ण कृषि भूमि का विपक्षी रमेशचन्द्र ही हांककर फसल बोता चला आ रहा है। संपूर्ण कृषि भूमि पर विपक्षी रमेशचन्द्र का The facto possession है। यह तथ्य प्रार्थी स्वयं इस चरण में स्वीकार कर रहा है कि भूमि को हांककर विपक्षी ने फसल बो रखी हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि In medio नहीं है। अपितु प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया है उसने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादग्रस्त कृषि भूमि में से कुछ हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर विपक्षी के साथ संयुक्त खातेदारी प्राप्त कर संयुक्त कब्जा प्राप्त किया है। किन्तु यह कथन गलत हैं क्योंकि विपक्षी ने जो तथाकथित विक्रय पत्र पंजीकृत होना कथन किया है वह पंजीकृत विक्रय पत्र न्यायलय के स्थगन आदेश के प्रभावी रहने पर विधि विरूद्ध रूप से निष्पादित कराकर पंजीकृत करवाया है जो प्रार्थी की पूर्ण जानकारी में होते हुए भी जानबूझकर प्रार्थी ने न्यायालय के स्थगन आदेश की अवज्ञा कर उक्त तथाकथित शून्य दस्तावेज भूमि के अंतरण संबंधी निष्पादित करवा पंजीकृत करवाया है। स्थगन आदेश के प्रभावी होने के कारण ऐसा तथाकथित विक्रय पत्र कानूनन शून्य है जिससे प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार एवं कब्जा निहित नहीं होकर कोई कब्जा मौके पर नहीं है। जब भूमि पर The facto possession है तो ऐसी अवस्था में भूमि पर से खातेदार का वैधानिक कब्बा हटाकर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कृषि भूमि के खातेदार एवं वास्तविक कब्जेधारी के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति चाहे वह सह खातेदार ही क्यों न हो किसी भी प्रकार से वास्तविक खातेदार कब्जेधारी को रिसीवर नियुक्त कराकार कब्जे से बेदखल कर रिसीवर नियुक्त कराये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं इस प्रकरण के समग्र तथ्यों के संदर्भ में यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके संबंध में प्रार्थी विपक्षी खातेदार से वास्तविक कब्जा हटाकर रिसीवर नियुक्त कराना चाहता है वह भूमि विपक्षी के राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में दर्ज होकर विपक्षी का भूमि पर वास्तविक कब्जा होकर उपयोग उपभोग में है इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराकर विपक्षी से कब्जा नहीं लिया जा सकता है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार व कब्जा नहीं है। संपूर्ण कृषि भूमि पर पर विपक्षी का वास्तविक भौतिक कब्जा होकर विपक्षी ही भूमि का वास्तविक खातेदार होकर भूमि पर खेती कर उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी का शांति पूर्ण तन्हॉ कब्जा है। प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से शिवनारायण व ब्रदीलाल का हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद करना बताया है किन्तु न्यायालय के स्थगन व उसकी जानकारी होतु हुए भी प्रार्थी ने दुर्भावनावश न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कराये है जो विधि अनुसार शून्य है जिनके प्रार्थी को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जब प्रार्थी का कोई विधि अनुसार हक अधिकार खातेदारी कब्जा नहीं है एवं विपक्षी का भूमि पर The facto possession है एवं भूमि In medio नहीं है तो ऐसी अवस्था में वास्तविक खातेदार कब्जेधारी से रिसीवरी की आड में कब्जा नहीं छीना जा सकता हैं विधि की भी नहीं मंशा है। वादग्रस्त कृषि भूमि विपक्षी के खातेदारी एवं तन्हॉ कब्जे की है जिस पर विपक्षी ने इस समय भी हांककर फसल बो रखी हैं भूमि में प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार कब्जा नहीं है। प्रार्थी शून्य दस्तावेज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है न ही विधि विरूद्ध रूप से विपक्षी वास्तविक कब्जेधारी खातेदार को बेदखल कर दुर्भावना वश कब्जा छीनने की नियत से रिसीवर नियुक्त करवाना चाहता है। जो कतई सही नहीं है एवं रिसीवर नियुक्त कराने की जो विधिक परिस्थितियां है उन में से कोई भी परिस्थिति इस प्रश्नगत प्रकरण में उत्पन्न ही नहीं हुई है। इसलिए प्रार्थी केवल विपक्षी को परेशान करने एवं विपक्षी से शांति पूर्ण कब्जे को छीनकर विपक्षी के वैधानिक खातेदारी अधिकारों से वंचित करने का कुत्सित प्रयास मात्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संदर्भ में न्यायालय आप में एक रेवेन्यू वाद प्रकरण संख्या 025/2004 रामचन्द्र बनाम शिवनारायण अंतर्गत धारा 88, 188 राज0टिनेंसी एक्ट दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी रमताराम ने प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनकर जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी रमताराम एवं विपक्षी रमेशचन्द्र भी पक्षकार हैं। उक्त वाद में रमताराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय आप द्वारा दिनांक 13.08.2012 को निरस्त फरमाया जिसके विरूद्ध रमताराम द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 7126/12 जिला चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत की जिसमें तारीख पेशी 23.04.2013 नियत हुई है। उक्त मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 27.08.2012 को अग्रिम कार्यवाही आगामी पेशी तक स्थगित किये जाने का आदेश पारित फरमा रखा है। जो अभी तक प्रभावी है। जब माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इसी कृषि भूमि के संदर्भ में इन्ही पक्षकारों के बीच प्रकरण में स्थगन आदेश पारित कर रखा है तो माननीय न्यायालय आप द्वारा इस वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके संबंध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में स्थगन आदेश दे रखा है के संदर्भ में रिसीवर नियुक्त करने या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ऐसा किये जाने की अवस्था में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की अवज्ञा होगीं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी में इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है प्रार्थी रिसीवर नियुक्त कराने के इस प्रार्थना पत्र में कब विवाद हुआ कैसे विवाद हुआ इसका कोई अभिवचन दिनांक एवं समय व स्थान अंकित ही नहीं किया है जिससे वाद हेतुक डिस्क्लॉज नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। वादी/प्रार्थी ने मूल वाद प्रकरण संख्या 339/2012 में प्रतिवादीगण संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ एवं प्रतिवादी संख्या 3 नगर परिषद जरिये आयुक्त नगर परिषद को प्रतिवादी पक्षकार बना रखा है किन्तु इस प्रार्थना पत्र में दोनो प्रतिवादीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार सत्यापित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः यह प्रस्तुत्तर प्रस्तुत कर विपक्षी माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्युत्तर स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(2) राज0टिनेंसी एक्ट सव्यय निरस्त फरमाया जाए।

दिनांक 10.06.2014 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौके की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के आदेश दिये गये। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/राजस्व/2019/1369 दिनांक 03.09.2019 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि दिनांक 05.09.2019 को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 19.09.2019 करे उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को रिसीवर नियुक्त किये जाने की ईश्तदुआ की गई एवं अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। अधिवक्ता अप्रार्थी में अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने अधिवक्ता अप्रार्थी के तथ्यों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खण्डन किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईल्तजा की। हमने पत्रावली का औद्यापान्त अवलोकन किया। जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) पेज संख्या 201, आरआरडी 1996 पेज संख्या 407, आरआरटी 2011(2) पेज संख्या 981, आरआरडी 1993 पेज संख्या 214 प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निस्तारण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u> प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वादपत्र बाबत् सहखातेदारान में विभाजन आराजीयात है एवं वादपत्र प्रकरण संख्या 339/2012 का विभाजन आराजीयात बाबत् लम्बित हैं। जिसमें वादी/प्रार्थी विवादित आराजीयात का 2/3 हक हिस्से का खातेदार होकर सहखातेदार के रूप में दर्ज अभिलिखित है। वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त हक हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बडी धन राशि का भुगतान किये जाकर क्रय किया गया है। पंजीकृत विक्रय विलेख से वादी/प्रार्थी सह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हुआ हैं जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2012 को वादी/प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की दुर्भावाना से विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से को बिना किसी वैध अधिकार के हांक दिया गया है एवं अप्रार्थी मौके पर लडाई झगडा कर मरने मारने पर उतारू है जिससे पक्षकारों के मध्य कब्जे को लेकर लडाई झगडा हो एवं शांति भंग होने का पूरा–पूरा अंदेशा है। इस कारण से विवादित आराजीयात पर रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है। जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वादी के पिता द्वारा न्यायालय हाजा में वाद संख्या 025/2004 बाबत् ईश्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वाद विचारण होकर लम्बित है जिसमें वादी द्वारा विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से को वादी के तन्हॉ खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकार्ड किये जाने की दाद वादी द्वारा चाही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गई है, जो कि वादी द्वारा अपने पिता द्वारा विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से की वसीयत अपने पक्ष में निष्पादित कराये जाने से विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हक व हिस्से की तन्हॉ खातेदारी अधिकारों बाबत् लम्बित होकर वादी द्वारा अपने वादपत्र को बखूबी प्रमाणित कराया जायेगा। उक्त वादपत्र में वादी/प्रार्थी भी पक्षकार संख्या 4 के रूप में संयोजित हो चुका है, एवं वादपत्र संख्या 025/2004 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 प्रकरण संख्या 113/2005 निर्णय दिनांक 24.12.2007 से वादी/प्रार्थी एवं वाद पत्र के प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है जो कि आज दिनांक तक प्रभावी है एवं वादी/प्रार्थी द्वारा न्यायालय स्थगन आदेश प्रभावी होने के दौरान की विवादित आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से सहखातेदार के रूप में दर्ज अभिलिखित हुये है जबकि विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी का कब्जा निर्विवाद रूप से अनवरत आज दिनांक तक जारी है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश आज दिनांक तक प्रभावी होने से विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जहॉ तक विवादित आराजीयात पर वास्तविक कब्जे का तथ्य है तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.09.2019 से अप्रार्थी रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र ईनाणी का विवादित के सम्पूर्ण हक हिस्से पर कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में वादी/प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा हो यह तथ्य विचारणीन है। ऐसी स्थिति में वादी/प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख विधि अनुसार है या नहीं है यह तथ्य विस्तृत वाद विचारण में ही तय किया जा सकता है और वास्तव में वास्तविक कब्जेधारी को विवादित आराजीयात के कब्जे बेदखल किये जाने योग्य है यह महत्वपूर्ण तथ्य वाद विचारण बाद सुनवाई एवं साक्ष्य के वाद में तय किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे करने की दुर्भावना से आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से को हांक दिया गया है। जिससे वादी/प्रार्थी अपने हक हिस्से से बेदखल हो सकता है, चूंकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी/प्रार्थी विवादित आराजीयात का 2/3 हक हिस्से का सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है एवं वादी/प्रार्थी को आराजीयात से बेदखल नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन वादी/प्रार्थी के पक्ष है। जबकि अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी का कब्जा निर्विवाद रूप से लगातार कायम है जिसकी पुष्ठि मौका कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई रिपोर्ट से भी होती है। इसके साथ ही थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विरूद्ध इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 जा0फौ0 का न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया गया जिसे बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निरस्त किया गया है। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार से शांति भंग नहीं होने का अंदेशा पाये जाने पर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाकर पुलिस थानाधिकारी कोतवाली के इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 जा0फौ0 जिसके प्रकरण संख्या 015/2014 निर्णय दिनांक 18.12.2017 को निरस्त किया गया है। वादी/प्रार्थी को शून्य दस्तावेज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं वादी/प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा होना अप्रार्थी द्वारा बताया गया है।

जहॉ तक विवादित आराजीयात के संबंध में राजस्व रिकार्ड की स्थिति का प्रश्न है वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो विवादित आराजीयात के अभिलिखित खातेदारान है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज से अप्रार्थी का विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से पर कब्जा होना प्रतीत होता है एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को तन्हॉ अपने नाम से खातेदारी से दर्ज किये जाने हेतु वाद विचारण है जिसमें वादी/प्रार्थी भी प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित होकर वादी/प्रार्थी का वाद संख्या 025/2004 में विभाजन हेतु काउंटर क्लेम किया जाना अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है एवं यह तथ्य वाद में विचारण योग्य है एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(2) इस तथ्य को तय नहीं किया जा सकता है, किन्तु अप्रार्थी का विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण हक हिस्से पर कब्जा है यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष है, ऐसी स्थिति में सुविधा के संतुलन का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपूरणीय क्षति :– जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि रिसीवन नियुक्त नहीं किये जाने की स्थिति में वादी/प्रार्थी को विवादित आराजीयात में सहखातेदार होने के पश्चात भी अकथनीय क्षति होगी। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्य को पूरी तरह से अस्वीकार किया गया है बताया कि विवादित आराजीयात के संपूर्ण हक हिस्से पर अप्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा है एवं अगर रिसीवर नियुक्त किया गया तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं इसके साथ ही रिसीवर की आड में वादी/प्रार्थी अप्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात के संपूर्ण हक हिस्से को अपने नाम पर तन्हॉ खातेदारी से दर्ज किये जाने हेतु ही वाद विचारण है एवं उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये जाकर वादी/प्रार्थी को पाबंद किया गया है एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त किया जाना अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा होगी है एवं रिसीवरी की आड में अनावश्यक मुकदमें बाजी एवं प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होगा जिससे अप्रार्थी को भारी अकथनीय क्षति होगी।

विवादित आराजीयात के वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार है यह तथ्य निर्विवाद रूप से उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है किन्तु रिसीवरी के संबंध में आराजीयात पर कब्जे को देखा जाना महत्वपूर्ण तथ्य है, रिसीवरी की आड में किसी भी पक्ष को आराजीयात पर कब्जे से बेदखल नहीं किया जाना चाहिये, इसके साथ ही आराजीयात पर कब्जा अप्रार्थी का ही प्रतीत होता है ऐसी स्थिति रिसीवर कायम किये जाने पर अप्रार्थी को अकथनीय क्षति होने की संभावना है। अत अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बसह प्रार्थना–पत्र पर चिंतन किया, मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश न्याय संगत नहीं है, ऐसी स्थिति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को अस्वीकार किया जाना ही उचित प्रतीत है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक **24.09.2019** को सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashwant Kumar Tailor
Date: 2019.09.28 09:34:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: